समक्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1348/2021

ग्राम सभा ग्राम मेलकडे
डाकघर मेहरा गांव जिला अल्मोडा ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ...प्रतिवादी

अधिवक्तागणः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री तरूण प्रकाश सिंह टाकुली, अधिवक्ता

राज्य की ओर से श्री टी.एस. फर्त्याल, उप महाधिवक्ता

प्रतिवादीगणों की ओर से श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, अधिवक्ता

माननीय शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश

(हाइब्रिड मोड के माध्यम से)

इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ग्राम सभा मेलकांडे पोस्ट मेहरा गांव, जिला अल्मोडा है। ग्राम सभा ने अपने प्रधान के माध्यम से इस रिट याचिका को दायर किया है, जिसमें दिनांक 17.04.2021 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके आधार पर, प्रतिवादी सं0 2 ने पिछले निर्देश के अनुपालन में, उसके अभ्यावेदन दिनांक 15.03.2021 को खारिज कर दिया था। जिसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुकदमे के पहले सेट में पारित किया था,

Note : Translated by Neha Kushawaha, Senior Civil Judge, Uttarkashi.

जिसे ग्राम सभा द्वारा रिट याचिका (एम/एस) संख्या 591/2021 में उठाया गया था।

2. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243(बी) के तहत ग्राम सभा का वर्णन है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (बी) के तहत वर्णित है, ग्राम सभा का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से बना एक निकाय है, जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। इसका संविधान, जैसा कि अनुच्छेद 243(बी) के तहत दिया गया है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ए के तहत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के प्रयोग से संबंधित है।

3. उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि धारा 127बी के तहत निहित है, यह प्रावधान करता है कि किसी न्यायालय के समक्ष ग्राम सभा के मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ग्राम सभा के मामले का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक पैनल का अधिवक्ता होना चाहिए। केवल भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के आधार पर या प्रधान के आदेश पर निजी वकील की मदद से ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। सुविधा के उद्देश्य से,

उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 127बी में इस प्रकार वर्णित किया गया है –

''127बी– पैनल के वकील। (1) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर और ऐसे रीति से, जो विहित की जाय, या जो सामान्यतया अथवा किसी मामले में या मामलों के किसी निर्दिष्ट वर्ग के लिए, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों की गाँव सभाओं के सम्बन्ध में जो निर्दिष्ट की जाये, एक या अधिक कानूनी वकील नियुक्त कर सकती है जो पैनल के वकील कहालायेंगे।

(2) पैनल का वकील, उपधारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, बिना किसी लिखित प्राधिकार के ऐसे क्षेत्र के किसी गाँव सभा की ओर से जिसक लिए वह नियुक्त किया जाय, किसी न्यायालय के समक्ष गाँव सभा द्वारा अथाव उसके विरुद्ध किसी भी वाद अथवा मामले में जो उसे सौंपा गया हो, उपस्थित हो सकता है और वकालत अथवा कार्यवाही कर सकता है।

(3) किसी भी न्यायालय में एक पैनल का वकील उस क्षेत्र की गाँव सभा का, जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, ऐसे न्यायालय द्वारा गाँव सभा के खिलाफ जारी किये गये प्रक्रम को प्राप्त करने के लिए अभिकर्ता होगा।

Note : Translated by Neha Kushawaha, Senior Civil Judge, Uttarkashi.

(4) कोई भी पैनल का वकील, भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व अनुमति के बिना, किसी गाँव सभा की ओर से किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के अभिदेश में न तो कोई करार या समझौता नहीं करेगा और न उसे वापस लेगा।

4. उक्त सिद्धांत विभिन्न नजीरों द्वारा निर्धारित किए गए थे जैसा कि 2013 (120) आरडी 319, किशोर बनाम ग्राम पंचायत में प्रतिवेदित किया गया था। प्रासंगिक अनुच्छेद 24 इस प्रकार वर्णित हैः–

> ''24. उपरोक्त के मद्देनजर इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि गांव सभा का प्रतिनिधित्व एक निजी वकील द्वारा नहीं किया जा सकता, यह सही नहीं है और यह मुद्दा पहले से ही इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के अंतर्गत आता है। एक निजी वकील को नियुक्त किया जा सकता है, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उस प्रक्रिया का पालन किया जाना है। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि वर्तमान मामले में कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना निजी वकील को नियुक्त किया गया है। जो तर्क दिया गया है वह यह है कि किसी

भी मामले में निजी वकील को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जो कि बाबू राम वर्मा (सुप्रा) के निर्णय के दृष्टिगत सही नहीं है।''

5. 2005 (98) आरडी 106 में प्रतिवेदित मामला प्यारे लाल और अन्य बनाम उप निदेशक, चकबंदी, मैनपुरी कैंप, एटा और अन्य के मामले में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–

''12. वर्तमान रिट याचिका गाँव सभा द्वारा अपने उप–प्रधान के माध्यम से दायर की गई है। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि भूमि प्रबंधन समिति ने उप–प्रधान को वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई प्रस्ताव पारित किया है। गाँव सभा नियमावली के पैराग्राफ संख्या 128 और 131 को राज्य द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के तहत तैयार किया गया है और ये कानून की शक्ति रखते हैं और प्रकृति में अनिवार्य हैं जैसा कि इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत बनाम उप निर्देशक, चकबंदी, 1969 एडब्ल्यूसी 500; बृंदावन बनाम ग्राम समाज, 1980 एडब्ल्यूसी 243 और ग्राम पंचायत बनाम कलेक्टर, उन्नाव, 1997 (3) एडब्ल्यूसी 165 के मामले में माना था।

13. गाँव सभा नियमावली का पैराग्राफ 131 भूमि प्रबंधन समिति पर इस उद्देश्य के लिए नियुक्त पैनल के वकील के अलावा किसी भी वकील को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है, इस अपवाद के साथ कि महत्वपूर्ण मामलों में कलेक्टर की लिखित अनुमति के साथ विशेष वकील को नियुक्त किया जा सकता है। यह रिट याचिका इस न्यायालय में गाँव सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किसी पैनल के वकील द्वारा नहीं बल्कि एक निजी वकील के माध्यम से दायर की गई है। यह बताने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि गाँव सभा की ओर से रिट याचिका दायर करने के लिए एक निजी वकील को नियुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा कोई अनुमति दी गई थी, इसलिए यह संधारणीय नहीं है। बाबूराम वर्मा बनाम उप विभागीय अधिकारी, अकबरपुर जिला फैजाबाद, 1996(Suppl)आरडी 10 के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले से मैं अपनी राय में दृढ हूँ।

14. पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और तदनुसार खारिज की जाती

है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।''

6. 1984 आरडी 193 में प्रतिवेदिता ग्राम सभा बनाम जगन्नाथ सिंह के मामले में, न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:–

''21. अगला विवाद 5.9.1974 को श्री ए.एन. राय द्वारा अपील के ज्ञापन की प्रस्तुति के बारे में था, जो न तो गाँव सभा की भूमि प्रबंधन समिति के किसी भी प्रस्ताव द्वारा नियुक्त पैनल वकील थे और न ही कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए थे जैसा गाँव सभा और भूमि प्रबंधक समिति नियमावली के पैराग्राफ–128 और पैराग्राफ–131, यथा संशोधित, द्वारा प्रदान किया गया था। पैराग्राफ–128 में लिखा है:–

''गाँव सभा मुकदमे का संचालन भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) के अध्यक्ष के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि समग्र रूप से भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) के समाधान का मामला होगा। हालाँकि, अत्यावश्यक मामलों में, अध्यक्ष स्वयं कार्रवाई कर सकता है और अगली आगामी बैठक के एजेंडे में

शामिल करके भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) का अनुसमर्थन ले सकता है।

22. पैराग्राफ–131 निम्नानुसार हैः–

''131. वकीलों को नियुक्त किया गया है जो भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) का प्रतिनिधित्व करेंगे और जहां आवश्यक हो, उसे कानूनी सलाह देंगे। समिति नियुक्त पैनल के वकील के अलावा किसी भी वकील को नियुक्त नहीं करेगी। हालांकि, महत्वपूर्ण मामलों में, विशेष वकील नियुक्त कर सकते हैं जो लिखित रूप में कलेक्टर के विशिष्ट प्रावधान से किये गये हो।

प्रत्येक तहसील में एक वकील या मुख्तार होता है और जिला मुख्यालय पर एक दीवानी और एक राजस्व वकील होता है। जिला सरकारी वकील पूरे कार्य का प्रभारी होता है।

भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) को एक वकील की सलाह की आवश्यकता होती है, उसे इसकी व्यवस्था करने के लिए तहसीलदार या उप–विभागीय अधिकारी से अनुरोध करना चाहिए। भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) के अध्यक्ष उन सभी

मामलों में पैनल के वकील से परामर्श करेंगे जिनमें उन्हें बुलाया गया है या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

यदि किसी मामले में भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) पैनल वकील या विशेष वकील की सलाह के अनुसार, यदि ऐसा मामला हो, या तहसीलदार या उप–विभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार, किसी वाद–पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी मामले का बचाव करने से इनकार करती है, तो भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) के सचिव के रूप में लेखपाल केवल उपरोक्त उद्देश्य के लिए तहसीलदार के आदेशों के तहत भूमि प्रबंधक समिति (भूमि प्रबंधन समिति) के लिए कार्य करेंगे।''

7. ग्राम पंचायत पुसावली, ब्लॉक जुनावई, गुन्नौर जिला बदायू द्वारा ग्राम प्रधान बनाम उ0प्र0 राज्य, द्वारा सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लखनऊ और अन्य के मामले में जो 2007 (102) आरडी 201 में प्रतिवेदित किया गया, न्यायालय ने निम्नानुसार माना हैः–

''12. इसके बाद विद्वान स्थायी वकील ने बाबू राम वर्मा बनाम उप–विभागीय अधिकारी और अन्य 1996 (2) ए.डब्ल्यू.सी. 1035 के मामले में इस न्यायालय

की एक खण्ड पीठ (लखनऊ बेंच) के फैसले पर भरोसा जताया। उक्त निर्णय में, न्यायधीशों ने माना है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव या जिला न्यायधीश की सहमति के बिना, ग्राम सभा की ओर से कोई मुकदमा/याचिका ''निजी वकील'' के माध्यम से अदालत में दायर नहीं की जा सकती है और इसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य द्वारा नियुक्त पैनल के वकील/स्थायी वकील के माध्यम से किया जाना है।

13. इस बात की सराहना की जाएगी कि ऊपर उद्धृत तरीके से ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया इस उद्देश्य से है कि ग्राम सभा, जो कि एक सार्वजनिक निकाय है, के धन को तुच्छ मामलों या व्यक्तिगत सनक पर मुकदमेबाजी शुरू करने में खर्च नहीं किया जा सकता है। ग्राम प्रधान का और उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए. उक्त निर्णय में यह भी देखा गया कि इस संबंध में प्रावधान अनिवार्य हैं।

14. श्री वी.के. सिंह, अधिवक्ता, उपस्थित हुए और कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम सभा/भूमि प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है और श्री सुशील कुमार,

अधिवक्ता को ग्राम प्रधान की ओर से वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिट याचिका दायर करने के लिए उचित प्रस्ताव और प्रावधानों के तहत आवश्यक संबंधित जिला न्यायधीश की अनुमति के अभाव में, श्री सुशील कुमार के पास ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, उपरोक्त रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं। हालाँकि, संबंधित गाँव सभाएँ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपनी शिकायतों, यदि कोई हो, का निवारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।''

8. उपरोक्त निर्णय, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों की खंड पीठों का तर्कयुक्त लगातार दृष्टिकोण रहा है, जहां खंड पीठ ने माना है कि उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 127बी के तहत निहित प्रावधानों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, निजी वकील को किसी निर्वाचित निकाय यानी ग्राम सभा के मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जैसा

कि संविधान के तहत प्रदान किया गया है जब तक कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। मामले को देखते हुए, इसी कारण से, ग्राम सभा के आदेश पर श्री तरूण प्रकाश सिंह टाकुली, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मुकदमे के पहले सेट में, रिट याचिका (एम/एस) संख्या 591/2021 ग्राम सभा ग्राम–मेलकांडे बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, के माध्यम से जिसका फैसला इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा प्रतिवादी को प्रतिनिधित्व तय करने के लिए एक निर्देश जारी करने के साथ किया गया था, प्रतिबंध लगाने और एक निजी वकील के माध्यम से ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह मुद्दा अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकता है।

10. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि यदि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 12.03.2021 को दिए गए फैसले को ध्यान में रखा जाता है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950

की धारा 127बी के निहितार्थ साथ ही साथ अनुपात के संबंध के पहलू पर विचार नहीं किया गया।

11. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, चूंकि प्रक्रिया का सहारा लेने के अलावा, ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व निजी वकील द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, यदि ग्राम सभा नामांकित पैनल के अधिवक्ताओं के माध्यम से नए सिरे से रिट याचिका दायर करना चाहती है तो यह निर्णय अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश)

02.08.2021

Note : Translated by Neha Kushawaha, Senior Civil Judge, Uttarkashi.